भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *156

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया गया

डिजिटल लेन-देन को बढावा

*156. श्री विवेक नारायण शेजवलकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है और यह एक हद तक सफल भी रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या डिजिटल लेन-देन करने वाले लोगों पर सुविधा शुल्क से अवांछित बोझ बढ़ रहा है, यद्यपि पिछले कुछ वर्षों के दौरान डिजिटल लेन-देन के प्रति लोगों की रूचि बढ़ी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का भविष्य में उक्त सुविधा शुल्क को कम करने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा" के संबंध में श्री विवेक नारायण शेजवलकर, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 13.2.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *156 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): देश की जनता को निर्विध्न और निर्बाध बैंकिंग लेनदेन सुविधा प्रदान करने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और बैंकों द्वारा कई पहल की गई हैं।

इनमें से कुछेक पहल हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी — यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (भीम-यूपीआई), यूपीआई-123, आधार समर्थित भुगतान सेवा (एईपीएस) आदि। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना आरंभ की है। इस योजना में बैंकों को, रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से प्वॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने और भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्म के ज़रिये व्यक्ति-से-व्यवसायी (पी2एम) को कम मूल्य (अर्थात् 2,000 रुपए तक) के लेनदेन के लिए, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना हेतु 2600 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, भारत में डिजिटल लेनदेन में भारी बदलाव आया है जो पिछले चार वित्तीय वर्ष के दौरान डिजिटल लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है, जैसा नीचे दर्शाया गया है:

वित्तीय वर्ष	मात्रा (करोड़ में)
2018-19	2326
2019-20	3400
2020-21	4374
2021-22	7197

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 के बाद पिछले चार वर्षों के दौरान डिजिटल भुगतान की मात्रा में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, एनपीसीआई से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में 45 बिलियन यूपीआई लेनदेन दर्ज हुए थे, यह पिछले 3 वर्ष में 8 गुना वृद्धि और पिछले 4 वर्ष में 50 गुना वृद्धि को दर्शाता है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान एईपीएस लेनदेन में पिछले 3 वर्ष में 4 गुना और पिछले 4 वर्ष में 10 गुना वृद्धि हुई है।

(ख) से (घ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार बैंकों द्वारा ग्राहकों से कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार 'डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना – प्रभारों को समाप्त करना – राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)' पर इसके दिनांक 16.12.2019 के परिपत्र के माध्यम से बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि दिनांक 01.01.2020 से एनईएफटी प्रणाली के माध्यम से किए गए ऑनलाइन (अर्थात् इंटरनेट बैंकिंग और/या बैंक के मोबाइल ऐप) निधि अंतरण के लिए बचत बैंक खाता धारकों पर कोई प्रभार न लगाया जाए। इसके अलावा, राजस्व विभाग के वर्ष 2019 के परिपत्र 32, दिनांक 30.12.2019 के द्वारा निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड अर्थात् रुपे डेबिट कार्ड, भीम-यूपीआई और भीम-यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से किए गए भुगतान पर दिनांक 01.01.2020 या उसके बाद से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) सहित कोई भी प्रभार लागू नहीं होगा।